"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 जनवरी 2017—— पौष 15, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-1/2016/3/एक. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

(1) नियम 3 में, शब्द "महिलाओं के पक्ष में" के स्थान पर, शब्द "केवल ऐसी महिलाओं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हों, के पक्ष में" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) नियम 4 में, शब्द एवं चिन्ह "महिला अभ्यर्थियों," के पश्चात्, शब्द "जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हों," अन्त:स्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 3-1/2016/3/एक— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-1/2016/1/3/एक, दिनांक 5-1-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Naya Raipur, the 5th January 2017

NOTIFICATION

No. F 3-1/2016/1-3. — In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Government of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for appointment of woman) Rules, 1997, namely :-

AMENDMENT

In the said Rules,-

(1) In rule 3, for the words "in favour of women" the words "in favour of women only who are local residents of State of Chhattisgarh" shall be substituted.

(2) In rule 4, after the words "women candidates", the words "who are local residents of State of Chhattisgarh" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.